



उपखण्ड को. व. ल. राजस्थान कोर्ट

प्रार्थना पत्र

12/06/18

प्रभावली राजस्व लोक अदालत में पेश हुई उपस्थित पक्षकार को मजमे-आद मुग गपा। हस्तगत प्रार्थना पत्र मु.नं. 48/2015 कावतं ~~अ~~ स्थायी निषेधाज्ञा के साथ पेश है। ग्राम मैड के साविक ख.नं. 1689 खबा 1 बीघा 3 बिसवा के दाल ख.नं. 2264/0.01, 2265/0.12 हैब्रेया की खातेदारी काडी सं. 4 के नाम दर्ज रिकार्ड है, काडी सं. 4 ने काडी सं. 1 लगा 3 के हक में उपहार पत्र दिनांक 24.03.15 निष्पादित कर रखा है। मूल वाद में उपप पक्षों के मध्य कब्जा-काशत के लेकर विवाद है, मूल वाद वर्तमान में साक्ष्य काडी में नियत है। कब्जा का बिल्कु साक्ष्य विषयक प्रश्न है, जो दोनों पक्षों की पूर्ण साक्ष्य उपरान्त निर्णीत होना है। अतः मूल वाद के न्यायपूर्ण निर्णय तक दोनों पक्षों को ताकैसला मूल वाद कि फेकादेवी अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद रिया जाता है कि ग्राम मैड के ख.नं. 2264/0.01, 2265/0.12 हैब्रेया के राजस्व रिकार्ड एवं मॉका की यथास्थिति कायम रखे। निर्णय मजमे आद कैम्प कोर्ट मैड के मुगपा गपा। प्रभावली फैसल मुकाल साविक 5 फरव बहे।



नि एम
किपान



पीठासीन अधिकारी
 राजस्व लोक अदालत
 न्याय आपके द्वार-2018
 उपखण्ड- दिसरनगर (जयपुर)